सीएसआईआर-केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान
CSIR-CENTRAL LEATHER RESEARCH INSTITUTE
वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद
Council of Scientific & Industrial Research
*अडयार, चेन्नई, तमिलनाडु, भारत*
*Adyar, Chennai – 600 020, Tamil Nadu, India.*

विज्ञापन **सं. 02/2026** दिनांक **23.01.2026**

# कनिष्ठ आशुलिपिक, कनिष्ठ सचिवालय सहायक और बहु कार्य कर्मचारी के पद (पदों) की भर्ती

**"सीएसआईआर ऐसे कार्यबल के निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है जो लैंगिक समानता को दर्शाता है और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है"**

| | |
|---|---|
| ऑनलाइन आवेदन का प्रारंभ | **23.01.2026 (09:00 AM)** |
| ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि | **02.03.2026 (11:59 PM)** |
| ऑनलाइन आवेदन करने की लिंक | **recruitment.clri.org** |
| आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी सीएसआईआर-सीएलआरआई को **नहीं** भेजी जानी चाहिए | |

सीएसआईआर-केंद्रीय चर्म अनुसंधान संस्थान (सीएलआरआई), चेन्नई वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर), विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक स्वायत्त निकाय, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) का एक प्रमुख घटक प्रतिष्ठान है। सीएसआईआर-सीएलआरआई की स्थापना वर्ष 1948 में की गई थी, जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। इसके अहमदाबाद, जालंधर, कानपुर और कोलकाता में क्षेत्रीय केंद्र हैं। सीएसआईआर-सीएलआरआई भारतीय चर्म क्षेत्र का प्रधान केंद्र है, जो शिक्षा, अनुसंधान, प्रशिक्षण, परीक्षण, डिजाइनिंग, पूर्वानुमान, नियोजन, सामाजिक सशक्तिकरण में प्रत्यक्ष भूमिका निभाता है और चर्म विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अग्रणी संस्था है।

सीएलआरआई निम्नलिखित प्रशासनिक पदों को भरने के लिए उत्साही, प्रतिभाशाली भारतीय नागरिकों से **ऑनलाइन** आवेदन आमंत्रित करता है:

## 1. रिक्त पदों का विवरण

| *पोस्ट कोड एवं पद का नाम* | *पदों की संख्या और आरक्षण* | *वेतनमान* | *कुल परिलब्धियां ** | *ऊपरी आयु सीमा# (02.03.2026 के अनुसार)* |
|---|---|---|---|---|
| **JST2601**<br>कनिष्ठ आशुलिपिक | 01 पद<br>UR | स्तर – 04<br>(₹ 25500 – 81100) | ₹ 53,628/- | 27 वर्ष |
| **JSA2602**<br>कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य) | 02 पद@<br>UR – 2 | स्तर – 02<br>(₹ 19900 – 63200) | कोलकाता:<br>₹ 39,545/-<br>कानपुर:<br>₹ 36,844/- | 28 वर्ष |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **JSA2603**<br>कनिष्ठ सचिवालय सहायक (भंडार एवं क्रय) | 03 पद<br>UR – 2 & OBC(Backlog) – 1 | स्तर – 02<br>(₹ 19900 – 63200) | ₹ 39,545/- | 28 वर्ष |
| **JSA2604**<br>कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वित्त एवं लेखा) | 01 पद<br>SC | स्तर – 02<br>(₹ 19900 – 63200) | ₹ 39,545/- | 28 वर्ष |
| **MTS2605**<br>बहु-कार्य कर्मचारी | 06 पद<br>UR – 3, OBC – 2 & EWS – 1 | स्तर-1<br>(₹ 18000 – 56900) | ₹ 35,973/- | 25 वर्ष |

** कुल परिलब्धियों से तात्पर्य है मूल वेतन, महंगाई भत्ता (डी.ए.), मकान किराया भत्ता (एच.आर.ए.), परिवहन भत्ता (टी.ए.) आदि सहित न्यूनतम वेतन स्तर पर प्रति माह अनुमानित कुल वेतन जो तैनाती स्थल पर लागू होता है।*

*# आयु में छूट का विवरण आयु सीमा एवं छूट कॉलम के तहत देखें।*

***@ 02 पदों में से, एक पदधारी को सीएलआरआई क्षेत्रीय केंद्र, कानपुर में और दूसरे को सीएलआरआई क्षेत्रीय केंद्र कोलकाता में तैनात किया जा सकता है।***

**टिप्पण :** इंगित रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और वह बढ़ या घट सकती है।

## 2. न्यूनतम अनिवार्य योग्यता:

| पोस्ट कोड | पद का नाम | न्यूनतम अनिवार्य योग्यता |
|---|---|---|
| JST2601 | कनिष्ठ आशुलिपिक | 10+2/12वीं या इसके समतुल्य और समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आशुलिपि में दक्षता। |
| JSA2602 | कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य) | 10+2/12वीं या इसके समतुल्य और समय-समय पर डी.ओ.पी.टी. द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर टाइपिंग गति और कंप्यूटर के उपयोग में दक्षता। |
| JSA2603 | कनिष्ठ सचिवालय सहायक (भंडार एवं क्रय) | |
| JSA2604 | कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वित्त एवं लेखा) | एक विषय के रूप में लेखाशास्त्र के साथ 10+2/12वीं या इसके समतुल्य और कंप्यूटर टाइपिंग गति में दक्षता और समय-समय पर डीओपीटी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार कंप्यूटर का उपयोग करने में दक्षता। |
| MTS2605 | बहु-कार्य कर्मचारी | **अनिवार्य:** मैट्रिक या समतुल्य में उत्तीर्ण<br>**वांछनीय:** इंटरमीडिएट (12वीं कक्षा) में उत्तीर्ण |

**10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद प्राप्त 3 वर्ष की अवधि के डिप्लोमा को उन पदों के लिए 12वीं कक्षा के समतुल्य माना जाएगा, जिनके लिए 10+2/12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना अनिवार्य योग्यता है। कनिष्ठ सचिवालय सहायक (वित्त व लेखा) पद के संबंध में, डिप्लोमा पाठ्यक्रम में लेखाशास्त्र एक विषय होगा, जिसे समतुल्य माना जाएगा। डिप्लोमा, जिसे समतुल्य माना जाना है, एक मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होगा, जिसे किसी मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान किया गया हो।**

नोट: अनिवार्य योग्यताओं में समतुल्य खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापित योग्यता के समतुल्य किसी विशेष योग्यता का दावा करता है, तो उम्मीदवार को इस संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकरण (संख्या और तिथि सहित) का उल्लेख हो जिसके तहत इसे समतुल्य माना गया है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत हो सकता है।

## 3. आवेदन शुल्क:

**प्रत्येक आवेदन किए गए पोस्ट कोड के लिए अलग-अलग आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा।**

**3.1** देय शुल्क: **₹ 500/- (रुपये पाँच सौ मात्र)**

| | | |
|---|---|---|
| **3.2** | महिला / अ.जा./ अ.ज.जा./ दिव्यांग / भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवार | **शून्य** |
| | उपरोक्त के अलावा अन्य श्रेणियों के उम्मीदवार | **₹ 500/-** |

**3.3** शुल्क का भुगतान केवल **स्टेट बैंक कलेक्ट** के माध्यम से किया जा सकता है।

**3.4** एक बार भुगतान किए गए शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं की जाएगी और न ही इसे किसी अन्य परीक्षा या चयन के लिए समायोजित किया जाएगा।

## 4. परीक्षा की पद्धति / पाठ्यविवरण :

**कनिष्ठ आशुलिपिक**

**प्रतियोगी लिखित परीक्षा**

| | |
|---|---|
| **परीक्षा का तरीका** | ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा |
| **प्रश्नों का माध्यम** | प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे, अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर |
| **परीक्षा का स्तर** | 10+2 / XII |
| **कुल प्रश्नों की संख्या** | 200 |
| **आवंटित समय** | कुल 2 घंटे (स्क्राइब के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट) |

प्रतियोगी लिखित परीक्षा में केवल **एक पेपर** होगा जिसमें तीन भाग होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

| भाग | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक | नकारात्मक अंक |
|---|---|---|---|---|
| I | सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति | 50 | 50 | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे |
| II | सामान्य जागरूकता | 50 | 50 | |
| III | अंग्रेजी भाषा और अवबोध | 100 | 100 | |

**संकेतात्मक पाठ्यविवरण:**

A. **सामान्य बुद्धिमत्ता एवं तर्कशक्ति:** इसमें मौखिक और गैर-मौखिक दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में सादृश्य, समानता और अंतर, स्थानिक कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने की क्षमता, दृश्य स्मृति, विभेदक अवलोकन, संबंध अवधारणाएँ, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आकृतियों का वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, गैर-मौखिक श्रृंखला आदि पर प्रश्न शामिल होंगे। इस परीक्षा में उम्मीदवारों की अमूर्त विचारों और प्रतीकों और उनके संबंध, अंकगणितीय गणना और अन्य विश्लेषणात्मक कार्यों से निपटने की क्षमताओं का परीक्षण करने के लिए डिज़ाइन किए गए प्रश्न भी शामिल होंगे।

B. **सामान्य जागरूकता:** प्रश्नों को इस तरह से बनाया जाएगा कि वे उम्मीदवारों की अपने आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता और समाज में इसके अनुप्रयोग की क्षमता का परीक्षण कर सकें। वर्तमान घटनाओं और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी प्रश्न बनाए जाएंगे, जो एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि उन्हें किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी।

C. **अंग्रेजी भाषा और अवबोध:** उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की समझ, शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम और इसके सही उपयोग आदि के परीक्षण के अलावा, उनकी लेखन क्षमता का भी परीक्षण किया जाएगा।

## आशुलिपि में दक्षता परीक्षा

उम्मीदवारों को **अंग्रेजी या हिंदी** (जैसा कि उम्मीदवारों द्वारा आवेदन पत्र में चुना गया है) में **80 शब्द प्रति मिनट** की गति से **10 मिनट** के लिए एक श्रुतलेख दिया जाएगा । प्रतिलेखन का समय इस प्रकार है:

| क्र. सं. | कौशल परीक्षा की भाषा | समयावधि (मिनटों में) | स्क्राइब के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए समय अवधि (मिनटों में) |
|---|---|---|---|
| 1. | अंग्रेजी | 50 | 70 |
| 2. | हिन्दी | 65 | 90 |

ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दक्षता परीक्षा के माध्यम का चयन अंतिम माना जाएगा और दक्षता परीक्षा के माध्यम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

***(आशुलिपि में दक्षता परीक्षा आयोजित करने के बाद प्रतियोगी लिखित परीक्षा या विलोमतः का क्रम/अनुक्रम निदेशक, सीएसआईआर-सीएलआरआई द्वारा विधिवत गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जा सकता है)***

## टंकण आलेख की प्रतिलेख का मूल्यांकन:

आशुलिपि की टंकण आलेखों के प्रतिलेखों का मूल्यांकन सीएसआईआर पत्र सं.5-1(211)/2014-पी.डी. दिनांक 21.12.2021 के अनुसार किया जाएगा। (देखने के लिए यहां क्लिक करें)

## कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य / भंडार एवं क्रय / वित्त एवं लेखा)

**कृपया कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य/भंडार एवं क्रय/वित्त एवं लेखा) के पद के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा की पद्धति/पाठ्यविवरण के लिए सीएसआईआर पत्र सं.5-1(315)/2015-पीडी दिनांक 09.04.2018 देखें (देखने के लिए यहां क्लिक करें)।**

### प्रतियोगी लिखित परीक्षा

| | |
|---|---|
| **परीक्षा का तरीका** | ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा |
| **प्रश्नों का माध्यम** | प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे, अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर |
| **परीक्षा का स्तर** | 10+2 / XII |
| **कुल प्रश्नों की संख्या** | 200 |
| **आवंटित समय** | कुल 2 घंटे 30 मिनट (स्क्राइब के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए 3 घंटे और 20 मिनट) |

प्रतियोगी लिखित परीक्षा में **दो पेपर (प्रश्नपत्र I और प्रश्नपत्र II)** होंगे जिनमें तीन भाग होंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

**भाग I {आवंटित समय – 90 मिनट (स्क्राइब के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए 120 मिनट)}**

| भाग | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|
| मानसिक योग्यता परीक्षा | 100 | 200<br>(प्रत्येक सही उत्तर के लिए दो अंक) | इस पेपर के लिए कोई नकारात्मक अंक नहीं होंगे। |

**भाग II {आवंटित समय – 1 घंटा (स्क्राइब के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए 1 घंटा 20 मिनट)}**

| भाग | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|
| सामान्य जागरूकता | 50 | 150<br>(प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक |
| अंग्रेजी भाषा | 50 | 150<br>(प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | |

**प्रतियोगी लिखित परीक्षा की योजना:**

लिखित परीक्षा में दो पेपर (पेपर-1 और पेपर-2) होते हैं। पेपर-1 में न्यूनतम सीमा अंक (चयन समिति द्वारा निर्धारित किया जाएगा) प्राप्त करनेवाले उम्मीदवारों के पेपर-2 का मूल्यांकन किया जाएगा।

अंतिम मेरिट सूची केवल प्रतियोगी लिखित परीक्षा के पेपर-2 में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।

**सांकेतिक पाठ्यविवरण:**

**A. मानसिक योग्यता परीक्षण :**

इसमें मौखिक और गैर-मौखिक, दोनों प्रकार के प्रश्न शामिल होंगे। परीक्षण में उपमाओं, समानताओं और अंतरों, अंतरिक्ष दृश्य, समस्या समाधान, विश्लेषण, निर्णय, निर्णय लेने, दृश्य स्मृति, भेदभावपूर्ण अवलोकन, संबंधों की अवधारणाओं, अंकगणितीय तर्क, मौखिक और आकृति वर्गीकरण, अंकगणितीय संख्या शृंखला, गैर-मौखिक शृंखला आदि पर प्रश्न शामिल होंगे। इसके अलावा, परीक्षण इस प्रकार तैयार किया जाएगा, ताकि सामान्य बुद्धि, मात्रात्मक अभिक्षमता, तर्कशक्ति, समस्या समाधान, स्थितिजन्य निर्णय आदि को शामिल किया जा सके।

**B. सामान्य जागरूकता:**

प्रश्नों को इस तरह से बनाया जाएगा कि वे उम्मीदवारों की अपने आसपास के वातावरण के बारे में सामान्य जागरूकता और समाज में इसके अनुप्रयोग की क्षमता का परीक्षण कर सकें। वर्तमान घटनाओं और रोजमर्रा के अवलोकन और अनुभव के ऐसे मामलों के ज्ञान का परीक्षण करने के लिए भी प्रश्न बनाए जाएंगे, जो एक शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षित हैं। परीक्षा में भारत और उसके पड़ोसी देशों से संबंधित प्रश्न विशेष रूप से खेल, इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, भारतीय संविधान सहित सामान्य राजनीति और वैज्ञानिक अनुसंधान आदि से संबंधित प्रश्न भी शामिल होंगे। ये प्रश्न ऐसे होंगे कि उनके लिए किसी भी विषय के विशेष अध्ययन की आवश्यकता नहीं होगी।

**C. अंग्रेजी भाषा और अवबोध:** उम्मीदवारों की अंग्रेजी भाषा की समझ के अलावा, इसकी शब्दावली, व्याकरण, वाक्य संरचना, पर्यायवाची, विलोम और इसके सही उपयोग आदि का भी परीक्षण किया जाएगा।

**कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर के उपयोग में दक्षता परीक्षा**

| | |
|---|---|
| अनुमत समय | 10 मिनट |
| अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षण | कंप्यूटर में प्रति मिनट 35 शब्द (35 WPM, प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 प्रमुख अवसाद पर 10500 KDPH के अनुरूप) |
| हिंदी टाइपिंग परीक्षण | कंप्यूटर में प्रति मिनट 30 शब्द (30 WPM प्रत्येक शब्द के लिए औसतन 5 प्रमुख अवसाद पर 9000 KDPH के अनुरूप) |

ऐसे उम्मीदवारों के लिए अंग्रेजी टाइपिंग परीक्षा / हिंदी टाइपिंग परीक्षा होगी, जो क्रमशः अंग्रेजी / हिंदी को अपने टाइपिंग परीक्षा के माध्यम के रूप में चुनते हैं।

ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दक्षता परीक्षा के माध्यम का चयन अंतिम माना जाएगा और दक्षता परीक्षा के माध्यम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

**(दक्षता परीक्षा (कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड और कंप्यूटर का उपयोग करने में) के क्रम / अनुक्रम तथा प्रतियोगी लिखित परीक्षा या इसके विपरीत, सीएसआईआर-सीएलआरआई के निदेशक द्वारा विधिवत गठित चयन समिति द्वारा निर्णय किया जा सकता है)**

**कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट की टाइपिंग प्रतियों का मूल्यांकन:**

हिंदी/अंग्रेजी में टाइप-स्क्रिप्ट के मूल्यांकन की कार्यप्रणाली, टाइपिंग परीक्षा में गलतियों की गणना आदि, सीएसआईआर पत्र सं. 5-1(116)/2011-पीडी दिनांक 13.07.2015 **(देखने के लिए यहाँ क्लिक करें)** और सीएसआईआर पत्र सं. 7-4(3)/ 2006-आर एंड ए दिनांक 12.03.2007 के अनुसार होगी। **(देखने के लिए यहाँ क्लिक करें)** के अनुसार किया जाएगा।

## बहु-कार्य कर्मचारी

**बहु-कार्य कर्मचारी के पद के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा हेतु योजना/पाठ्यविवरण के लिए कृपया सीएसआईआर पत्र सं.5-1(315)/2015-पीडी दिनांक 09.04.2018 देखें।** [(देखने के लिए यहां क्लिक करें)]

**प्रतियोगी लिखित परीक्षा**

| | |
|---|---|
| **परीक्षा का तरीका** | ओएमआर आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार की बहुविकल्पीय परीक्षा |
| **प्रश्नों का माध्यम** | प्रश्न त्रिभाषी, यानी अंग्रेजी, हिंदी और तमिल में पूछे जाएंगे, अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर |
| **परीक्षा का स्तर** | मैट्रिक |
| **कुल प्रश्नों की संख्या** | 150 |
| **आवंटित समय** | कुल 2 घंटे (स्क्राइब के लिए योग्य उम्मीदवारों के लिए 2 घंटे और 40 मिनट) |

*प्रतियोगी लिखित परीक्षा में **केवल एक पेपर** होगा जिसमें चार भाग होंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:*

| भाग | विषय | प्रश्नों की संख्या | अधिकतम अंक |
|---|---|---|---|
| सामान्य बुद्धिमत्ता | 25 | 75<br>(प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक |
| मात्रात्मक अभिक्षमता | 25 | 75<br>(प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक |
| सामान्य जागरूकता | 50 | 150<br>(प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक |
| अंग्रेजी भाषा | 50 | 150<br>(प्रत्येक सही उत्तर के लिए तीन अंक) | प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक नकारात्मक अंक |

**समान अंक प्राप्त करने वाले दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के मामले को हल करने की पद्धति: जहाँ भी दो या दो से अधिक उम्मीदवारों ने समान कुल अंक प्राप्त किए हैं, वहाँ समानता को नीचे दिए गए पूर्वता के क्रम (आरोही क्रम) के अनुसार हल किया जा सकता है, जब तक कि समानता का समाधान नहीं हो जाता:**

A. प्रतियोगी लिखित परीक्षा के पेपर (जिन पर मेरिट सूची तैयार करने के लिए विचार किया गया है) में कम नकारात्मक अंक प्राप्त उम्मीदवारों को उच्च स्थान दिया जाना;

B. जन्म तिथि, जिसमें बड़े उम्मीदवार को उच्च स्थान दिया जाना;

C. पहले न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को उच्च स्थान दिया जाना;

D. वर्णानुक्रम में उम्मीदवारों का पहला नाम

## 5. मेरिट सूची की तैयारी:

| कनिष्ठ आशुलिपिक |
|---|
| ➢ आशुलिपि में दक्षता परीक्षा केवल अर्हता प्राप्त करने के लिए ही होगा।<br>➢ प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों के प्रदर्शन के आधार पर अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी।<br>➢ मेरिट सूची में केवल वे लोग शामिल होंगे जिन्होंने आशुलिपि में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है।<br>**नोट:** उचित रूप से गठित चयन समिति प्रतियोगी लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित कर सकती है। इसे सीएलआरआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। |
| **कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य / भंडार एवं क्रय / वित्त एवं लेखा)** |
| ➢ कंप्यूटर टाइपिंग गति और कंप्यूटर के उपयोग में दक्षता परीक्षा केवल अर्हकारी प्रकृति की होगी।<br>➢ अंतिम मेरिट सूची केवल प्रतियोगी लिखित परीक्षा के पेपर-2 में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी।<br>➢ मेरिट सूची में केवल वे उम्मीदवार शामिल होंगे जिन्होंने कंप्यूटर टाइपिंग गति स्पीड और कंप्यूटर के उपयोग में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है।<br>**नोट:** उचित रूप से गठित चयन समिति प्रतियोगी लिखित परीक्षा में न्यूनतम अर्हता अंक निर्धारित कर सकती है। इसे सीएलआरआई की वेबसाइट पर अधिसूचित किया जाएगा। |
| **बहु-कार्य कर्मचारी** |
| अंतिम मेरिट सूची केवल प्रतियोगी लिखित परीक्षा में उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार की जाएगी। |

## 6. आयु सीमा और छूट:

**6.1** आवेदन करने की न्यूनतम आयु ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि यानी 02.03.2026 को **18 वर्ष** है।

**6.2** आयु, योग्यता, एससी/एसटी/ओबीसी (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क में छूट, आरक्षण, आयु में छूट आदि के दावे को निर्धारित करने के लिए कट-ऑफ तिथि, जहाँ अन्यथा निर्दिष्ट नहीं है, ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि, यानी 02.03.2026 होगी।

**6.3** भारत सरकार/सीएसआईआर के मौजूदा नियमों/दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में अनुमेय छूट निम्नानुसार है:

| क्र. सं. | श्रेणी | ऊपरी आयु सीमा से परे आयु में छूट |
|---|---|---|
| 1. | अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा) | 5 वर्ष |
| 2. | अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व. – एनसीएल) | 3 वर्ष |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | दिव्यांगजन (अनारक्षित) | 10 वर्ष |
| 4. | दिव्यांगजन (अ.पि.व. – एनसीएल) | 13 वर्ष |
| 5. | दिव्यांगजन (अ.जा./अ.ज.जा) | 15 वर्ष |
| 6. | भूतपूर्व सैनिक | ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर वास्तविक आयु से वास्तविक सैन्य सेवा को घटाने के बाद 3 वर्ष की छूट |
| 7. | सीएसआईआर विभागीय उम्मीदवार | कोई आयु सीमा नहीं |
| 8. | विधवाएँ / तलाकशुदा महिलाएँ / कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाएँ और जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है | 35 वर्ष की आयु तक |
| 9. | विधवा/तलाकशुदा महिलाएं/कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाएं जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है (अ.जा./अ.ज.जा) | 40 वर्ष की आयु तक |
| 10. | कोई अन्य श्रेणी | आयु में कोई छूट नहीं |

**6.4** केवल एसएससी/मैट्रिक/10वीं कक्षा/एसएसएलसी/एचएससी प्रमाणपत्र या उपयुक्त सरकारी प्राधिकरण द्वारा जारी जन्म प्रमाणपत्र ही जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जाएगा और परिवर्तन के लिए बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा/स्वीकार नहीं किया जाएगा। जहां संबंधित शिक्षा बोर्डों द्वारा जारी प्रमाणपत्रों/मार्कशीट में जन्म तिथि उपलब्ध नहीं है, वहां जन्म तिथि दर्शाने वाला स्कूल छोड़ने का प्रमाणपत्र स्वीकार किया जाएगा।

**6.5** अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन/भूतपूर्व सैनिक/विधवा/तलाकशुदा/कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाओं को केंद्र सरकार के तहत पदों की नियुक्ति के लिए वैध निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित निर्धारित प्रारूप (संलग्न प्रोफार्मा के अनुसार) में प्रमाण पत्र की एक प्रति अपलोड करनी होगी ।

**6.6** भारत सरकार के लागू आदेशों के अनुसार, एससी/एसटी उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 05 [पांच] वर्ष और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए 03 (तीन) वर्ष तक की छूट दी जा सकती है, केवल उन मामलों में जहां पद इन संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित हैं [आवश्यकतानुसार आवेदन के साथ अपलोड किए जाने वाले प्रमाण पत्र की प्रतियां]। **एससी/एसटी/ओबीसी(एनसीएल) उम्मीदवार जो उनके लिए आरक्षित नहीं किए गए पदों के लिए आवेदन करते हैं, वे डीओपीटी का.ज्ञा. सं.36011/1/98-Estt. (Res) दिनांक 01.07.1998 के अनुसार ऐसे पदों के संबंध में आयु में छूट के लिए पात्र नहीं हैं, और उनके चयन के संबंध में उन्हें अनारक्षित उम्मीदवारों के बराबर माना जाता है।** हालांकि, ऐसे मामलों में योग्य उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क में छूट लागू है।

## 6.7 अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए आयु में छूट:

ओबीसी प्रमाणपत्रों के लिए, ओबीसी स्थिति की और क्रीमी लेयर से बाहर होने की दोनों शर्तें, भारत सरकार के मानदंडों के संबंध में पूरी होनी चाहिए न कि संबंधित राज्य सरकार के मानदंडों के अनुसार। **ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाणपत्र ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर वैध होना चाहिए।** ओबीसी प्रमाणपत्र भारत सरकार के आदेशों (अनुलग्नक II) के अनुसार, भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए लागू होने वाले प्रारूप में होने चाहिए,

जिसमें भारत सरकार द्वारा निर्धारित क्रीमी लेयर मानदंडों को पूरा किया गया हो, न कि किसी भी राज्य में नियुक्ति के लिए जिसमें उन राज्य सरकार के आदेशों के संदर्भ हों। ओबीसी उम्मीदवार की पात्रता भारत सरकार की केंद्रीय सूची में उल्लिखित जातियों पर आधारित होगी।

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) को एक 'घोषणा पत्र' (अनुलग्नक-III) भी देना होगा, जिसमें यह दावा किया गया हो कि वे पिछले तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी के नहीं हैं।

ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) का दावा करने वाले उम्मीदवारों पर अस्थायी रूप से विचार किया जा सकता है; हालांकि, शामिल होने के समय, उन्हें एक **ओबीसी (नॉन-क्रीमी लेयर) प्रमाण पत्र जमा करना होगा जो ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि पर वैध हो।** एक नया या बाद में जारी प्रमाण पत्र जमा करना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

## 6.8 आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के लिए आयु में छूट:

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के तहत आरक्षण को शासित करने वाली विस्तृत पात्रता शर्तों, आय और संपत्ति मानदंड और अन्य प्रावधानों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी), भारत सरकार द्वारा जारी आदेश सं.36039/1/2019-Estt.(Res.) दिनांक 31.01.2019 को देखें, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है।
**(देखने के लिए यहां क्लिक करें)**.

## 6.9 विकलांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु में छूट

भारत सरकार के निर्देशों के अनुसार निम्नलिखित बेंचमार्क विकलांगताओं से पीड़ित व्यक्तियों को ऊपरी आयु सीमा में 10 (दस) वर्ष [उनके लिए आरक्षित संबंधित पदों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 15 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष] की आयु में छूट दी जाएगी।

| | |
|---|---|
| श्रेणी (क) | दृष्टिहीन और कम दृष्टि |
| श्रेणी (ख) | बधिर तथा जिन्हें सुनने में कठिनाई होती है; |
| श्रेणी (ग) | चलन दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत परा-मस्तिष्क घात, ठीक किया गया कुष्ठ, बौनापन, अम्ल हमले के पीड़ित और पेशीय दुर्विकास; |
| श्रेणी (घ) | आटिज़्म, बौद्धिक दिव्यांगता, सीखने में विशिष्ट दिव्यांगता और मानसिक रोग; |
| श्रेणी (ङ) | (क) से (घ) खंड के अधीन दिव्यांगताओं से युक्त व्यक्तियों में से बहु दिव्यांगता, जिसके अंतर्गत बधिरता-अंधता है |

नोटः उपरोक्त निर्दिष्ट विकलांगताओं की परिभाषा "दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016" के अनुसार होगी।

इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्ति पदों में शर्तों/आरक्षण में छूट के लिए तभी पात्र होंगे जब वे कम से कम 40% प्रासंगिक बेंचमार्क विकलांगता से पीड़ित हों। ऐसे उम्मीदवारों को दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचना सं. G.S.R. 591(E) दिनांक 15.06.2017 के तहत जारी दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2017, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है, में निर्दिष्ट फॉर्म

V, VI और VII (अनुलग्नक V, VI और VII) (जैसा भी मामला हो) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जमा करना होगा।

दिव्यांग उम्मीदवारों को अपने आवेदन में अपनी जाति/समुदाय जैसे कि SC/ST/OBC/GEN/EWS का उल्लेख करना चाहिए और यदि लागू हो तो संबंधित जाति/समुदाय का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना चाहिए क्योंकि यह एक समस्तरीय आरक्षण है।

केवल बेंचमार्क शारीरिक विकलांगता वाले उम्मीदवारों को बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्ति (PwBD) माना जाएगा और वे विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षण के हकदार होंगे। PwBD श्रेणी के अंतर्गत एक उम्मीदवार को नियुक्ति के लिए तभी योग्य माना जाएगा जब वह भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष भर्ती द्वारा भरे जाने वाले समूह "ग" पदों के लिए निर्धारित चिकित्सा फिटनेस के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से स्वस्थ पाया जाएगा।

**6.10 (i) बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों और (ii) 40% से कम बेंचमार्क विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों के लिए स्क्राइब और/या क्षतिपूर्ति समय का प्रावधान।**

(a) अंधापन, लोकोमोटर विकलांगता (दोनों हाथ प्रभावित-बी.ए.) और सेरेब्रल पाल्सी की श्रेणी में बेंचमार्क विकलांगता वाले व्यक्तियों के मामले में, प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाती है, यदि उम्मीदवार द्वारा ऐसा चाहा जाता है।

(b) स्क्राइब की सुविधा तब मिलेगी जब संबंधित व्यक्ति एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें यह लिखा हो कि उस व्यक्ति को लिखने में शारीरिक सीमा है और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। यह प्रमाण पत्र संलग्न अनुलग्नक के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी किया गया होना चाहिए।

(c) दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना क्रमांक फा.सं. 29-6/2019-डीडी-III दिनांक 10.08.2022 के अनुसार, आर.पी.डब्ल्यू.डी. अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट दिव्यांगजन, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आने वाले, अर्थात 40% से कम विकलांगता वाले और लिखने में कठिनाई वाले व्यक्तियों को, स्क्राइब की सुविधा और/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर दी जाएगी कि संबंधित व्यक्ति को लिखने में सीमा है और संलग्न अनुलग्नक के अनुसार सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी से उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब आवश्यक है। प्रमाणन के प्रयोजन के लिए चिकित्सा प्राधिकारी एक बहु-सदस्यीय प्राधिकरण होना चाहिए जिसमें निम्नलिखित शामिल हों:

(i) मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी-अध्यक्ष

(ii) आर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ

(iii) तंत्रिकाविज्ञानी, यदि उपलब्ध हो*

(iv) नैदानिक मनोवैज्ञानिक / पुनर्वास मनोवैज्ञानिक / मनोचिकित्सक / विशेष शिक्षक

(v) व्यवसाय चिकित्सक, यदि उपलब्ध हो*

(vi) उम्मीदवार की स्थिति के आधार पर अध्यक्ष द्वारा नामित कोई अन्य विशेषज्ञ

*(*यदि जिले में तंत्रिकाविज्ञानी, व्यवसाय चिकित्सक उपलब्ध नहीं हैं तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी निकटतम जिले या मेडिकल कॉलेज/संस्थान से उन्हें शामिल करने के लिए पूर्ण प्रयास कर सकते हैं।)*

(d) स्क्राइब / गद्यांश पाठक की सुविधा केवल तभी एक पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवार को दी जाएगी जब उसने ऑनलाइन आवेदन पत्र में इसके लिए विकल्प चुना हो। उम्मीदवार द्वारा व्यवस्थित स्क्राइब उसी परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि प्रक्रिया के किसी भी चरण में उपरोक्त का उल्लंघन पाया जाता है, तो उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। **जो उम्मीदवार परीक्षा में स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने के लिए योग्य हैं और जो ऐसा करना चाहते हैं, उन्हें ऑनलाइन आवेदन पत्र में अनिवार्य रूप से सावधानीपूर्वक इसका उल्लेख करना चाहिए। किसी भी बाद के अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।**

(e) उम्मीदवार या तो अपने खर्च पर अपने स्वयं के स्क्राइब की व्यवस्था कर सकता है या आवेदन पत्र में कार्यालय की ओर से स्क्राइब की व्यवस्था करने का अनुरोध कर सकता है।

(f) यदि उम्मीदवार स्क्राइब का विकल्प चुनता है, तो स्क्राइब की योग्यता हमेशा मैट्रिक या उससे ऊपर होनी चाहिए, लेकिन परीक्षा के न्यूनतम योग्यता मानदंडों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(g) बेंचमार्क विकलांगता वाले जो उम्मीदवार स्क्राइब का विकल्प चुनते हैं, उन्हें संलग्न अनुलग्नक के अनुसार स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा, स्क्राइब को परीक्षा के समय मूल में एक वैध पहचान प्रमाण (आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड, आदि) प्रस्तुत करना होगा। स्क्राइब के पहचान प्रमाण की एक फोटोकॉपी, जिस पर उम्मीदवार और स्क्राइब दोनों के हस्ताक्षर होंगे, संलग्न अनुलग्नक के अनुसार प्रोफार्मा के साथ प्रस्तुत की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो उम्मीदवार पद और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो देगा।

(h) उम्मीदवार और स्क्राइब को एक उपयुक्त वचन देना होगा जिसमें यह पुष्टि की जाए कि स्क्राइब ऊपर उल्लिखित स्क्राइब के लिए सभी निर्धारित पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। इसके अलावा, यदि बाद में यह पता चलता है कि उसने किसी निर्धारित पात्रता मानदंड को पूरा नहीं किया या भौतिक तथ्यों को दबाया, तो प्रतियोगी लिखित परीक्षा के परिणाम की परवाह किए बिना, आवेदक की उम्मीदवारी निरस्त हो जाएगी।

(i) परीक्षा के दौरान किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि स्क्राइब स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दे रहा है तो परीक्षा सत्र समाप्त कर दिया जाएगा और उम्मीदवार की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। स्क्राइब की सेवाओं का उपयोग करने वाले ऐसे उम्मीदवारों की उम्मीदवारी भी निरस्त कर दी जाएगी यदि परीक्षा के बाद परीक्षा प्रशासक कर्मियों द्वारा यह रिपोर्ट किया जाता है कि स्क्राइब ने स्वतंत्र रूप से प्रश्नों का उत्तर दिया है।

(j) एक उम्मीदवार के लिए स्क्राइब के रूप में काम करने वाला व्यक्ति दूसरे उम्मीदवार के लिए स्क्राइब नहीं हो सकता है।

(k) जिन व्यक्तियों को ऊपर वर्णित अनुसार स्क्राइब के उपयोग की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का क्षतिपूरक समय दिया जाएगा। पूर्ववर्ती उप-पैरा (ख) और (ग) में उल्लिखित उम्मीदवार, जो स्क्राइब के उपयोग के लिए पात्र हैं, लेकिन स्क्राइब की सुविधा का लाभ नहीं उठा रहे हैं, उन्हें भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का क्षतिपूरक समय दिया जाएगा।

(l) पात्र उम्मीदवारों के लिए स्क्राइब के अलावा किसी अन्य परिचर को परीक्षा कक्ष के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(m) आंशिक रूप से दृष्टिहीन उम्मीदवार जो साधारण प्रश्न पत्र को आवर्धक लेन्स के साथ या बिना पढ़ सकते हैं और आवर्धक लेन्स की सहायता से उत्तर लिखना/इंगित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा कक्ष में इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और वे स्क्राइब के हकदार नहीं होंगे। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा कक्ष में अपना आवर्धक लेन्स लाना होगा।

(n) पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों जिन्होंने स्क्राइब और/या क्षतिपूर्ति समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें लिखित परीक्षा के समय और बाद में, आवश्यकतानुसार स्क्राइब और/या क्षतिपूर्ति समय की पात्रता के लिए संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफलता के परिणामस्वरूप उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

(o) केवल उन उम्मीदवारों को ही ऐसी रियायतें दी जाएंगी जिन्होंने क्षतिपूरक समय के लिए पंजीकरण कराया है, क्योंकि उम्मीदवारों को दिया जाने वाला क्षतिपूरक समय प्रणाली आधारित होगा। सीएसआईआर-सीएलआरआई के लिए ऐसे समय की अनुमति देना संभव नहीं होगा यदि उन्होंने इसके लिए पंजीकरण नहीं कराया है। जिन उम्मीदवारों ने क्षतिपूरक समय के लिए पंजीकरण नहीं कराया है, उन्हें ऐसी रियायतें नहीं दी जाएंगी।

## 6.11 विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और कानूनी रूप से अलग हुई महिलाओं के लिए आयु में छूट

भारत सरकार के प्रावधानों के अनुसार, **विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाओं, जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है**, (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक) के लिए ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष तक छूट योग्य है। इस उप-पैरा के तहत आयु में छूट का दावा करने वालों को निम्नलिखित दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने होंगे:

i) विधवा के मामले में, उनके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र और साथ ही यह शपथ पत्र कि उसके बाद से उन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है।

ii) तलाकशुदा महिलाओं और अपने पति से कानूनी रूप से अलग हो चुकी महिलाओं के मामले में, तलाक या न्यायिक अलगाव के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/आदेश की एक प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथ पत्र के साथ कि उन्होंने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है।

## 6.12 भूतपूर्व सैनिकों (ESM) के लिए आयु में छूट:

भूतपूर्व सैनिकों के मामले में छूट भारत सरकार/सीएसआईआर के समय-समय पर जारी किए गए प्रावधानों के अनुसार लागू होगी। भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर वास्तविक आयु से सैन्य सेवा

की अवधि घटाने के बाद ऊपरी आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट दी जा सकती है। केवल उन्हीं उम्मीदवारों को भूतपूर्व सैनिक माना जाएगा जो कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना संख्या G.S.R. 757 (E), दिनांक 04.10.2012, क्रमांक 36034/1/2006-Estt (Res) के अनुसार निर्धारित परिभाषा और मानदंडों को पूरा करते हैं, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है। भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने भूतपूर्व सैनिकों को उनके पुनर्नियुक्ति के लिए दिए गए आरक्षण के लाभों का लाभ उठाने के बाद केंद्र सरकार के तहत समूह 'ग' पदों पर नियमित आधार पर पहले ही सिविल साइड में रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत आरक्षण के लाभों का दावा करने के लिए पात्र नहीं हैं।

भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों, पुत्रियों और आश्रितों के लिए आयु में छूट स्वीकार्य नहीं है। इसलिए, ऐसे उम्मीदवारों को अपनी श्रेणी भूतपूर्व सैनिक के रूप में नहीं बतानी चाहिए।

### 6.13 सीएसआईआर विभागीय उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट:

सीएसआईआर विभागीय उम्मीदवारों (नियमित सीएसआईआर कर्मचारी) के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, बशर्ते उनके पास निर्धारित योग्यताएं हों। सीएसआईआर विभागीय उम्मीदवारों का अर्थ केवल स्थायी सीएसआईआर कर्मचारी हैं, न कि अस्थायी/अनुबंध/परियोजना कर्मचारी आदि।

सीएसआईआर प्रयोगशालाओं/संस्थानों, सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में काम करने वाले अस्थायी/अनुबंध कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारी की स्थिति में "नहीं" का उल्लेख करना चाहिए।

### 6.14 सरकारी/स्वायत्त निकायों के कर्मचारियों के लिए आयु में छूट:

केंद्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों आदि के कर्मचारियों के लिए आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है।

**6.15** उम्मीदवार यह भी ध्यान दें कि उपर्युक्त के संबंध में, उनकी उम्मीदवारी तब तक अनंतिम रहेगी जब तक कि संबंधित दस्तावेज़ की सत्यता की नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा पुष्टि नहीं हो जाती है। उम्मीदवारों को सावधान किया जाता है कि यदि वे धोखाधड़ी से SC/ ST/ OBC(NCL)/ EWS/ PwBD/ ESM स्थिति का दावा करते हैं या किसी अन्य लाभ का लाभ उठाते हैं तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।

**6.16** अन्य आयु में छूट भारत सरकार/सीएसआईआर भर्ती नियमों के अनुसार लागू होगी और ऊपर बताई गई सभी आयु में छूट पूरी तरह से लागू नहीं हैं। आयु में छूट के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए, कृपया समय-समय पर संशोधित भारत सरकार/सीएसआईआर के आदेशों को देखें।

## 7. परिषद सेवा के अंतर्गत लाभ:

**7.1.** इन पदों पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान सामान्य भत्ते जैसे महंगाई भत्ता (डीए), मकान किराया भत्ता (एचआरए), परिवहन भत्ता (टीए) आदि मिलते हैं और तैनाती स्थल पर सीएसआईआर कर्मचारियों पर भी लागू होते हैं। परिषद के कर्मचारी भी सीएसआईआर आवास आवंटन नियमों के अनुसार आवास के हकदार हैं, जो उपलब्धता के अधीन है। यदि परिषद या सरकारी आवास का उपयोग किया जाता है, तो मकान किराया भत्ता प्रदान नहीं किया जाएगा।

**7.2.** प्रत्येक श्रेणी के पदों के लिए निर्दिष्ट वेतन के अलावा, चिकित्सा खर्चों की प्रतिपूर्ति, छुट्टी यात्रा रियायत और संतान शिक्षा भत्ते आदि जैसे लाभ भी सीएसआईआर/भारत सरकार (भारत सरकार) के नियमों के अनुसार उपलब्ध हैं, जो परिषद के कर्मचारियों पर लागू होते हैं।

**7.3.** सभी नए प्रवेशकों को नए प्रवेशकों के लिए परिभाषित योगदान के आधार पर "राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली" द्वारा शासित किया जाएगा, जैसा कि सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अपनाया गया है। हालांकि, अन्य सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चयनित व्यक्ति जो 01.01.2004 से पहले शामिल हुए और भारत सरकार के पैटर्न पर पेंशन योजना रखते हैं, वे मौजूदा पेंशन योजना अर्थात सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 और 2021 के अनुसार, नियमों के अनुसार शासित होते रहेंगे।

**7.4.** सोसायटी के कर्मचारियों की सेवा शर्तों से संबंधित सभी मामलों के संबंध में, केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियमावली, 1964 और केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियमावली-1965, भारत सरकार द्वारा बनाए गए मौलिक और पूरक नियम और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए ऐसे अन्य नियम और आदेश, परिषद के कर्मचारियों पर लागू होने की सीमा तक लागू होंगे।

**7.5.** सीएसआईआर प्रशासनिक सेवा (भर्ती एवं पदोन्नति) नियमावली, 2020 (एएसआरपी) के प्रावधान के तहत सीएसआईआर समय-समय पर संशोधित करियर उन्नति प्रदान करता है।

## 8. अन्य शर्तें:

**8.1.** आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।

**8.2.** सभी आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक पद की अनिवार्य योग्यता और विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तों को पूरा करना होगा। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उनके पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य योग्यताएं हैं, जो अनिवार्य हैं, भले ही किसी उम्मीदवार के पास कुछ अन्य उच्च योग्यताएं हों। **पात्रता के बारे में सलाह मांगने वाली पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।**

**8.3.** निर्धारित अनिवार्य योग्यताएं पद के विरुद्ध उल्लिखित न्यूनतम हैं। केवल इनके होने से ही उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा/दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया नहीं जा सकता है। विधिवत गठित स्क्रीनिंग समिति उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए अपने मानदंड अपनाएगी। इसलिए उम्मीदवार को आवेदन में सभी योग्यताओं का उल्लेख आवश्यक दस्तावेजों के साथ करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विवरण पूर्ण और सटीक हों।

**8.4.** निर्धारित शैक्षणिक योग्यता भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्ड आदि से प्राप्त की गई होनी चाहिए/सरकार द्वारा अनुमोदित नियामक निकायों द्वारा अनुमोदित होनी चाहिए और अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर या उससे पहले घोषित किए जाने चाहिए। पाठ्यक्रम की पूर्णता की गणना अनंतिम प्रमाण पत्र/अधिसूचना जारी करने की तिथि से की जाएगी।

**8.5.** अपेक्षित योग्यता में समतुल्य खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समतुल्य योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो उम्मीदवार को इस संबंध में एक आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकरण (संख्या और तिथि के साथ) का उल्लेख हो जिसके तहत इसे इस प्रकार माना गया है, अन्यथा आवेदन अस्वीकृत होने के लिए उत्तरदायी होगा। योग्यता (योग्यताएं) की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों की मान्यता के संबंध में सीएसआईआर का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

**8.6.** सीएसआईआर/सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/विश्वविद्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और सरकार द्वारा वित्तपोषित अनुसंधान एजेंसियों में काम करने वाले उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय अपने नियोक्ता से "अनापत्ति प्रमाणपत्र" (NOC) (संलग्न प्रारूप के अनुसार) अपलोड करना होगा, **अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार नहीं किया जाएगा।**

**8.7.** **उम्मीदवारों को अपना नाम, जन्म तिथि और पिता का नाम/माता का नाम ऑनलाइन आवेदन में उसी प्रकार भरना होगा जैसा कि एसएससी/मैट्रिक/10वीं/एसएसएलसी प्रमाणपत्र में दिया गया है।** यदि कोई उम्मीदवार मैट्रिक या विवाह या पुनर्विवाह या तलाक आदि के बाद अपने नाम में परिवर्तन का दावा करता है, तो इसे ऑनलाइन आवेदन में संबंधित क्षेत्र में उल्लेखित किया जाना चाहिए और नाम परिवर्तन/नाम में विसंगति/ उम्मीदवार/माता-पिता के नाम में भिन्नता (यदि लागू हो) के समर्थन में उपयुक्त प्राधिकारी से राजपत्र अधिसूचना/शपथ पत्र की एक प्रति जमा करनी चाहिए।

**8.8.** बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों द्वारा CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI ग्रेड आदि देने की स्थिति में, उम्मीदवारों को अपने बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों के अनुसार सूत्र के आधार पर प्रतिशत में परिवर्तित करना होगा। बोर्ड/विश्वविद्यालय/संस्थानों द्वारा जारी CGPA/SGPA/OGPA/DGPA/CPI ग्रेड आदि को प्रतिशत में परिवर्तित करने के सूत्र की एक प्रति ऑनलाइन आवेदन में अपलोड की जानी चाहिए।

**8.9.** यदि कोई दस्तावेज़/प्रमाण पत्र हिंदी या अंग्रेजी के अलावा किसी अन्य भाषा में प्रस्तुत किया गया है, तो राजपत्रित अधिकारी या नोटरी द्वारा विधिवत सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तुत की जानी चाहिए।

**8.10.** ऑनलाइन आवेदन में दी गई असत्य/गलत जानकारी और मूल दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली जानकारी के मामले में उम्मीदवारी निरस्त की जा सकती है। **अपेक्षित प्रमाण पत्र/दस्तावेजों के बिना, विधिवत नहीं भरे गए या अपलोड किए गए आवेदन को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।**

**8.11.** **कनिष्ठ आशुलिपिक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य/भंडार एवं क्रय/वित्त एवं लेखा) के पद के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को आशुलिपि / कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा में दक्षता परीक्षा देने के लिए अपने विकल्प को हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में इंगित करना चाहिए। उम्मीदवारों को केवल उसी माध्यम में दक्षता परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जिसे उन्होंने चुना है। ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा दी गई दक्षता परीक्षा (अर्थात आशुलिपि परीक्षा / कंप्यूटर टाइपिंग परीक्षा) के माध्यम का चुनाव अंतिम माना जाएगा और बाद में दक्षता परीक्षा के माध्यम में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।**

**8.12.** उम्मीदवारों को यह इंगित चाहिए कि क्या उनके रक्त/निकट संबंधियों [सरकारी कर्मचारी के संबंध में पत्नी या पति, पुत्र या पुत्री, माता-पिता, भाई या बहन या उनमें से किसी से भी खून या विवाह से संबंधित कोई भी व्यक्ति शामिल है, चाहे वे सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हों या नहीं] में से कोई सीएसआईआर-सीएलआरआई या सीएसआईआर या सीएसआईआर की किसी अन्य राष्ट्रीय प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई में काम कर रहा है।

**8.13.** कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, जिसका पति या पत्नी जीवित हो, अथवा (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर लिया हो अथवा विवाह करने का अनुबंध किया हो, सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि केंद्र सरकार, यदि इस बात से संतुष्ट हो कि वह विवाह उस व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू स्वीय विधि (पर्सनल लॉ) के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के अन्य आधार हैं, तो वह उस व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।

**8.14.** कृपया ध्यान रहे कि पदों पर नियुक्तियाँ अनंतिम होंगी और उचित माध्यमों से जाति प्रमाण पत्र सहित आवश्यक प्रमाण पत्रों के सत्यापन के अधीन होंगी। यदि सत्यापन से पता चलता है कि उम्मीदवार का दावा कि वह

SC/ST/OBC(NCL)/EWS/PwBD से संबंधित है, झूठा है या यदि यह पता चलता है कि उम्मीदवार का यह दावा कि वह नॉन-क्रीमी लेयर (OBC-NCL के लिए) से संबंधित है, झूठा है, तो उसकी सेवाओं को बिना कोई कारण बताए और झूठे प्रमाण पत्र के उत्पादन के लिए प्रासंगिक कानूनों के प्रावधानों के तहत की जाने वाली ऐसी आगे की कार्रवाई के पूर्वाग्रह के बिना तत्काल समाप्त कर दिया जाएगा।

**8.15. अनंतिम उम्मीदवारी:** इस विज्ञापन के विरुद्ध पद के लिए आवेदन करने से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, यह साबित नहीं करता कि चयन वास्तव में हो गया है। दक्षता परीक्षा / प्रतियोगी लिखित परीक्षा के लिए उम्मीदवारी केवल अस्थायी रूप से स्वीकार की जाएगी। चयन प्रक्रिया के सभी निबंधनों और शर्तों को पूरा करने और चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी भी समय प्रचलित सभी सीएसआईआर / भारत सरकार के निर्देशों को पूरा करने के अधीन चयन होगा।

**8.16.** चयनित उम्मीदवार पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **दो वर्ष** की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे। परिवीक्षा अवधि सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार बढ़ाई या कम की जा सकती है। परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद, उन्हें प्रचलित नियमों के अनुसार पुष्टि के लिए विचार किया जाएगा।

**8.17.** चयनित उम्मीदवारों को परिवीक्षा अवधि के दौरान कहीं और नियुक्ति के लिए आवेदन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यदि उन्होंने कार्यभार ग्रहण करने से पहले किसी अन्य संगठन में किसी भी पद के लिए आवेदन किया है, तो उन्हें प्रयोगशाला में कार्यभार ग्रहण करते ही ऐसे आवेदनों का विवरण सूचित करना होगा। हालांकि, केंद्रीय / राज्य सेवा आयोगों के आवेदन छूट प्राप्त हैं।

**8.18.** चयनित व्यक्तियों को निदेशक, सीएसआईआर-सीएलआरआई, चेन्नई के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कहीं भी सेवा देने के लिए तैयार रहना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर उन्हें भारत में कहीं भी सीएसआईआर की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान में स्थानांतरित किया जा सकता है।

**8.19.** कनिष्ठ आशुलिपिक और कनिष्ठ सचिवालय सहायक (सामान्य/भंडार एवं क्रय/वित्त एवं लेखा) के पद ( पदों ) के लिए भर्ती **"सीएसआईआर प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं पदोन्नति (एएसआरपी) नियमावली, 2020"** द्वारा शासित है, जो समय-समय पर संशोधित किया गया है। अतः यहाँ उल्लिखित अन्य सभी नियम और शर्तें उक्त भर्ती नियमों के अनुसार लागू होंगी।

**8.20.** उम्मीदवारों की जांच प्रथम दृष्टया ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों और जानकारी के आधार पर की जाएगी। यदि बाद की किसी तारीख/चरण में यह पता चलता है कि उम्मीदवार पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं या आवेदन पत्र में गलत या झूठी जानकारी प्रस्तुत की है या जानबूझकर किसी भी भौतिक जानकारी को दबाया है, तो उनकी उम्मीदवारी बिना कोई कारण बताए निरस्त कर दी जाएगी। यदि चयन के बाद भी इसका पता चलता है, तो वह किसी भी स्तर पर शामिल होने के बाद सेवा से हटाए जाने के लिए उत्तरदायी होगा, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसी अन्य कार्रवाई की जा सकती है जो आवश्यक समझी जाए। सीएसआईआर-सीएलआरआई/सीएसआईआर ऐसी झूठी/गलत जानकारी प्रस्तुत करने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी परिणाम के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए, उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऑनलाइन आवेदन में प्रदान की गई सभी जानकारी सटीक और सही है।

**8.21.** आवेदन में दी गई जानकारी और प्रस्तुत सहायक/मूल दस्तावेजों से प्रमाणित जानकारी में कोई भी विसंगति होने पर आवेदन को अमान्य आवेदन के रूप में अस्वीकार कर दिया जाएगा। यदि भर्ती प्रक्रिया के किसी भी चरण में कोई विसंगति पाई जाती है, तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी को सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दी जाएगी।

**8.22.** किसी भी गणमान्य व्यक्ति के नाम/फोटो का दुरुपयोग करके फर्जी/गढ़ी आवेदन/पंजीकरण करने की स्थिति में, ऐसा उम्मीदवार/साइबर कैफे इसके लिए जिम्मेदार होगा और साइबर/आई.टी. अधिनियम के तहत उपयुक्त कानूनी कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होगा।

**8.23.** नियुक्ति प्रस्ताव जारी करने से पहले, उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति के साथ-साथ मूल दस्तावेज और सक्षम प्राधिकारी, सीएसआईआर-सीएलआरआई द्वारा निर्दिष्ट किए गए किसी भी अन्य दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा, ऐसा न करने पर उनकी उम्मीदवारी अस्वीकृत होने की संभावना है।

**8.24.** उम्मीदवारों को अपने हित में यह सलाह दी जाती है कि वे अंतिम तिथि से बहुत पहले ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें और अंतिम तिथि तक प्रतीक्षा न करें ताकि अंतिम दिनों के दौरान वेबसाइट पर भारी लोड के कारण डिस्कनेक्शन/ अक्षमता या भर्ती पोर्टल पर लॉग इन करने में विफलता की संभावना से बचा जा सके। अतः, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बिना, बहुत पहले ही ऑनलाइन आवेदन जमा कर दें। संस्थान का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा और इस संबंध में कोई भी पूछताछ स्वीकार नहीं की जाएगी।

**8.25.** इस विज्ञापन के बारे में सूचनाएं जैसे कि लिखित परीक्षा/दक्षता परीक्षा के लिए बुलाए जाने वाले चयनित/शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों का विवरण, परीक्षा/टेस्ट की तिथि, समय और स्थान, परिशिष्ट या शुद्धिपत्र (यदि कोई हो) और इस विज्ञापन से संबंधित कोई अन्य अपडेट समय-समय पर केवल सीएलआरआई की आधिकारिक वेबसाइट: **https://clri.org/** पर प्रदर्शित किए जाएंगे। उम्मीदवारों को कोई व्यक्तिगत संचार नहीं भेजा जाएगा। इस प्रकार, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे सीएसआईआर-सीएलआरआई की आधिकारिक वेबसाइट को नियमित रूप से देखें।

**8.26.** **कोई भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।** इस विज्ञापन में उल्लेखित **हेल्पडेस्क** संपर्क केवल ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने से संबंधित परिचालन मुद्दों के समाधान के लिए है।

**8.27.** निदेशक, सीएसआईआर-सीएलआरआई बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने या पदों को भरने से मना करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक पद/श्रेणी के विरुद्ध दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और अंतिम चयन के समय बढ़ या घट सकती है। यह विज्ञापन आवश्यक नहीं है कि वास्तव में किए जा रहे चयन के समान हो। चयन प्रक्रिया सीएसआईआर/भारत सरकार के निर्देशों के अधीन है जो चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी भी समय प्रचलित हैं।

**8.28.** निदेशक, सीएसआईआर-सीएलआरआई बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने या पदों को न भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। प्रत्येक पद/श्रेणी के विरुद्ध दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है और अंतिम चयन के समय बढ़ या घट सकती है। यह विज्ञापन आवश्यक नहीं है कि वास्तव में किए जा रहे चयन के समान हो। चयन प्रक्रिया सीएसआईआर/भारत सरकार के निर्देशों के अधीन है जो चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी भी समय प्रचलित हो।

**8.29.** सीएसआईआर-सीएलआरआई/सीएसआईआर का सीएसआईआर प्रशासनिक सेवा भर्ती एवं पदोन्नति (एएसआरपी) नियमावली, 2020 के अनुसार पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन के तरीके और लिखित परीक्षा/दक्षता परीक्षा के आयोजन से संबंधित सभी मामलों में निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। इस संबंध में उम्मीदवार की ओर से किसी व्यक्ति या एजेंसी से कोई पूछताछ या पत्राचार नहीं किया जाएगा।

**8.30.** सक्षम प्राधिकारी सीएसआईआर-सीएलआरआई के हित में इस विज्ञापन में निबंधनों और शर्तों को संशोधित करने, हटाने और जोड़ने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस विज्ञापन में शामिल नहीं किए गए किसी भी मुद्दे के लिए, सीएसआईआर के उचित निर्देश लागू होंगे।

**8.31.** इस विज्ञापन से उत्पन्न या उसके संबंध में उत्पन्न कोई भी विवाद केवल चेन्नई की अदालतों के क्षेत्राधिकार के अधीन होगा।

**8.32.** किसी भी रूप में पक्षप्रचार करना और/या कोई प्रभाव, राजनीतिक या अन्यथा लाना पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।

**8.33.** प्रतियोगी लिखित परीक्षा या दक्षता परीक्षा में शामिल होने के लिए उम्मीदवारों को कोई यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता नहीं दिया/प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी।

## 9. आवेदन कैसे करें:

**9.1.** पात्र उम्मीदवारों को केवल सीएसआईआर-सीएलआरआई वेबसाइट (recruitment.clri.org) के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन के किसी अन्य तरीके पर विचार नहीं किया जाएगा।

**9.2.** ऑनलाइन आवेदन का लिंक 23.01.2026 (09:00 पूर्वाह्न) से 02.03.2026 (11:59 अपराह्न) तक सीएसआईआर-सीएलआरआई की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगा। इसके बाद ऑनलाइन लिंक अपने आप निष्क्रिय हो जाएगा।

**9.3.** यदि उम्मीदवार के पास वैध ईमेल आईडी नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पहले एक नई वैध ईमेल आईडी बनानी चाहिए और पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान इसे सक्रिय रखना चाहिए।

**9.4.** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया के लिए कृपया ऊपर उल्लिखित वेबसाइट पर उपलब्ध "ऑनलाइन आवेदन कैसे करें" निर्देश, "शुल्क भुगतान प्रक्रिया" देखें।

**9.5.** उम्मीदवारों को अपने रिकॉर्ड के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र और भुगतान विवरण का प्रिंट-आउट रखना चाहिए। आवेदन पत्र और भुगतान विवरण का प्रिंट-आउट **02.03.2026** को **अपराह्न 11:59 बजे** के बाद उपलब्ध नहीं होगा।

**9.6.** **उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने की अंतिम तिथि/समय की प्रतीक्षा किए बिना, ऑनलाइन आवेदन पत्र बहुत पहले ही जमा कर दें। सीएसआईआर-सीएलआरआई किसी भी कारण से आवेदन पत्र जमा न करने और/या आवेदन शुल्क का भुगतान न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।**

**9.7.** उम्मीदवारों को **प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए आवेदन करने हेतु 500/- रुपये (रुपये पाँच सौ मात्र)** का गैर-प्रतिदेय आवेदन शुल्क **केवल ऑनलाइन भुगतान प्रणाली के माध्यम से, अर्थात एस.बी. कलेक्ट के माध्यम से निम्नलिखित लिंक** का उपयोग करके जमा करना होगा:

https://www.onlinesbi.sbi/sbicollect/icollecthome.htm

**Govt. Departments → Tamil Nadu → Central Leather Research Institute →**
**Payment Category:** **JST – Application Fee / JSA (G) – Application Fee / JSA (F&A) – Application Fee / JSA (S&P) – Application Fee / MTS – Application Fee**

ऑनलाइन आवेदन सफलतापूर्वक जमा करने के लिए एस.बी. कलेक्ट से प्राप्त ई-रसीद की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जानी चाहिए।

**9.8.** अ.जा./अ.ज.जा./पीडब्ल्यूबीडी/महिला/ भूतपूर्व सैनिक से संबंधित उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, जो उनके दावे के संबंधित दस्तावेज़ अपलोड करने के अधीन है।

**9.9.** निर्धारित शुल्क के बिना आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और गैर-छूट प्राप्त श्रेणियों में इसे सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा। किसी अन्य माध्यम से भुगतान किया गया आवेदन शुल्क स्वीकार नहीं किया जाएगा और आवेदन को बिना आवेदन शुल्क के माना जाएगा और अस्वीकार कर दिया जाएगा। इस तरह के अस्वीकृति के विरुद्ध कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

**9.10.** अधूरे आवेदन, यानी ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवारों द्वारा किए गए दावों के समर्थन में फ़ोटो/हस्ताक्षर/आवेदन शुल्क/दस्तावेज़/प्रमाणपत्र के बिना आवेदन को अमान्य माना जाएगा।

**9.11.** उम्मीदवार को ऑनलाइन आवेदन में निर्दिष्ट स्थानों पर अपनी नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की फ़ोटो, हस्ताक्षर और संबंधित प्रमाण पत्र भी अपलोड करने होंगे।

**9.12.** जमा किए गए आवेदन वापस नहीं लिए जा सकते और एक बार भुगतान किए जाने पर शुल्क, न तो किसी भी परिस्थिति में वापस किया जाएगा और न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।

**9.13.** प्रत्येक उम्मीदवार से केवल एक आवेदन स्वीकार किया जाएगा। यदि कोई उम्मीदवार एक ही पोस्टकोड के लिए अलग-अलग ईमेल आईडी के साथ कई ऑनलाइन आवेदन जमा करता है, तो केवल नवीनतम पूर्ण आवेदन पर विचार किया जाएगा। उम्मीदवारों को आवेदन प्रिंट-आउट और अपने रिकॉर्ड के लिए किसी भी भुगतान विवरण की एक प्रति अपने पास रखनी चाहिए, क्योंकि आवेदन की अंतिम तिथि के बाद ये उपलब्ध नहीं होंगे।

**9.14.** उम्मीदवार को पोर्टल में आवश्यक अनुसार अपने व्यक्तिगत विवरण के साथ पंजीकरण करना होगा। सफल पंजीकरण के बाद, उम्मीदवार को क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग-इन करना होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। आवेदन पत्र भरने के बाद, उम्मीदवार सभी संबंधित सहायक दस्तावेजों को अपलोड कर सकते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए आवेदन को सत्यापित या संपादित कर सकते हैं कि आवेदन सभी पहलुओं में सटीक और पूर्ण है। आवेदन को अंतिम रूप देने के बाद, उम्मीदवार को अंत में ड्राफ्ट आवेदन को 'सबमिट' करना होगा और आवेदन पत्र को सफलतापूर्वक सबमिट करने के लिए पोर्टल में भुगतान विवरण को अपडेट करना होगा, यदि लागू हो। एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद, आवेदन पत्र में किसी भी आशोधन या संशोधन या परिवर्तन या सुधार के लिए किसी भी अनुरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी। पूर्ण किए गए आवेदन पत्र का प्रिंटआउट रखना महत्वपूर्ण है। **उम्मीदवारों को आवेदन जमा करने के बाद आवेदन की हार्ड कॉपी नहीं भेजनी चाहिए। उनसे उचित समय पर हार्ड कॉपी जमा करने का अनुरोध किया जाएगा।**

**9.15. केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्वायत्त निकायों, पीएसयू, आदि के कर्मचारियों के आवेदन केवल तभी स्वीकार किए जाएंगे जब वे उचित माध्यम से भेजे गए हों, और नियोक्ता द्वारा प्रमाणित किया गया हो कि चयनित होने पर आवेदक को नियुक्ति आदेश प्राप्त होने के एक महीने के भीतर कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। अग्रेषण पत्र में सतर्कता अनापत्ति भी दर्ज की जानी चाहिए। वैकल्पिक रूप से, वर्तमान नियोक्ता से सतर्कता अनापत्ति के साथ अनापत्ति प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जा सकता है।**

***ध्यान दें:*** *ऑनलाइन के माध्यम से विवरण जमा करने में किसी भी विसंगति के लिए सीएसआईआर-सीएलआरआई जिम्मेदार नहीं है। इसलिए आवेदकों को सलाह दी जाती है कि वे निर्देशों का सख्ती से पालन करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए विवरण को अंतिम माना जाएगा और आवेदन की आगे की प्रक्रिया केवल इन्हीं विवरणों के आधार पर की जाएगी। ऑनलाइन आवेदन के मान्यकरण नियम और डिज़ाइन विज्ञापन में उल्लिखित आवश्यकताओं पर आधारित*

*हैं और इस संबंध में किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। उम्मीदवारों को विज्ञापन को ध्यान से पढ़ना चाहिए और आवेदन पोर्टल पर "निर्देश" खंड को देखना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन जमा करने से यह गारंटी नहीं मिलती है कि उम्मीदवार विज्ञापन में उल्लिखित सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करता है। आवेदन पश्चातवर्ती जांच के अधीन हैं और यदि बाद के चरणों में अयोग्यता पाई जाती है तो अस्वीकार किए जा सकते हैं।*

**9.16.** ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के दौरान किसी भी तकनीकी समस्या या सहायता के लिए, उम्मीदवार recruit.clri@csir.res.in पर हेल्पलाइन से संपर्क कर सकते हैं या **कार्य दिवसों के दौरान सुबह 9:00 बजे से शाम 5:30 बजे के बीच 044-2443-7265** पर कॉल कर सकते हैं। प्रश्नों या अभ्यावेदनों का उत्तर केवल तभी दिया जाएगा जब उन्हें उपरोक्त ईमेल आईडी पर भेजा जाएगा। किसी अन्य ईमेल आईडी पर भेजे गए अनुरोधों पर विचार नहीं किया जाएगा।

**9.17.** विज्ञापन में दिए गए निर्देशों को अच्छी तरह से पढ़े बिना किसी भी पत्राचार के माध्यम से किए गए निरर्थक अभ्यावेदन/स्पष्टीकरण पर विचार नहीं किया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि यदि आवश्यक हो, तो ही हेल्प डेस्क की सहायता लें।

**9.18.** उम्मीदवार को सावधान किया जाता है कि वे कोई भी अधूरी, झूठी या भ्रामक जानकारी प्रस्तुत न करें या कोई भी ऐसा दस्तावेज़ जमा न करें जो दोषपूर्ण, जाली या मनगढ़ंत हो या अन्यथा स्वीकार्य न हो या धोखाधड़ी से अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व./पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक का दर्जा आदि का दावा न करें या चयन प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार की कदाचार का सहारा न लें। चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान मूल दस्तावेजों के सत्यापन के बावजूद, यदि चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में या बाद में अवैधता का कोई मामला पाया जाता है, तो सीएसआईआर-सीएलआरआई अन्य उचित कानूनी कार्रवाई करने के अलावा उम्मीदवारी या चयन को रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

## 10. कदाचार/अनुचित साधनों के उपयोग के दोषी पाए गए उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई:

उम्मीदवारों को उनके अपने हित में सलाह दी जाती है कि वे कोई भी झूठी, छेड़छाड़ की गई या मनगढ़ंत जानकारी प्रस्तुत न करें और ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय किसी भी महत्वपूर्ण जानकारी को न दबाएं। परीक्षा के समय, या बाद की चयन प्रक्रिया में, यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित का दोषी पाया जाता है –

(i) अनुचित साधनों का उपयोग करना, या

(ii) किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण प्राप्त करना, या

(iii) परीक्षा कक्ष में दुर्व्यवहार करना या किसी भी उद्देश्य के लिए या किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से परीक्षण या परीक्षणों की सामग्री या उसमें मौजूद किसी भी जानकारी का पूर्णतः या अंशतः खुलासा, प्रकाशन, पुनरुत्पादन, प्रसारण, भंडारण या प्रसारण और भंडारण की सुविधा प्रदान करना, या

(iv) अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेना, या

(v) अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या

(vi) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में मोबाइल फोन या संचार के सामान, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर, ऐसा उम्मीदवार, खुद को आपराधिक अभियोजन हेतु उत्तरदायी बनाने के अलावा, निम्नलिखित के लिए भी उत्तरदायी हो सकता है:

**(a) जिस परीक्षा के लिए वह उम्मीदवार है, उससे उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।**

**(b) सीएसआईआर-सीएलआरआई द्वारा आयोजित किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या एक निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना।**

**(c) सेवा की समाप्ति के लिए, यदि वह पहले से ही सीएसआईआर-सीएलआरआई में कार्यभार ग्रहण कर चुका है।**

## 11. ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ अपलोड किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची:

1. नवीनतम पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फोटो
2. हस्ताक्षर
3. प्रत्येक पोस्ट कोड के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500/- रुपये की रसीद, जहाँ भी लागू हो।
4. आधार कार्ड
5. जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र/जन्म प्रमाण पत्र (ऑनलाइन आवेदन पत्र में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्म तिथि और मैट्रिक/माध्यमिक परीक्षा प्रमाण पत्र में दर्ज वही जन्म तिथि आयु निर्धारित करने के लिए स्वीकार की जाएगी और बाद में परिवर्तन का कोई भी अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा या प्रदान नहीं किया जाएगा।)
6. 10वीं कक्षा की मार्कशीट / प्रमाण पत्र या समतुल्य (अनिवार्य)
7. 12वीं कक्षा की मार्कशीट / प्रमाण पत्र या समतुल्य योग्यता प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
8. उम्मीदवार/माता-पिता के नाम में परिवर्तन/नाम में विसंगति/नाम में बदलाव के समर्थन में उपयुक्त प्राधिकारी से राजपत्र अधिसूचना/शपथ पत्र/प्रमाण पत्र की प्रति (यदि लागू हो)।
9. भारत सरकार द्वारा निर्धारित अनुलग्नकों के अनुसार प्रारूप में जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र (जहाँ भी लागू हो)।
10. निर्धारित प्रारूप में अनापत्ति एवं सतर्कता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
11. निर्धारित प्रारूप में पीडब्ल्यूबीडी (जहाँ लागू हो) से संबंधित प्रमाण पत्र
12. विधवा/तलाकशुदा महिलाओं/कानूनी रूप से अलग रह रही महिलाओं के मामले में, कानून की उचित अदालत से संबंधित प्रमाण पत्र/फैसले की प्रति/डिक्री। साथ ही, एक शपथपत्र जिसमें पुष्टि की गई हो कि ऐसे उम्मीदवार ने पुनर्विवाह नहीं किया है।
13. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में, वैध भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र और पूर्ण डिस्चार्ज बुक के साथ निर्धारित प्रोफार्मा – VII से IX
14. आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में कोई अन्य दस्तावेज, जैसा लागू हो।

**नोट:**

❖ यदि फ़ोटो या हस्ताक्षर या अनिवार्य दस्तावेजों में चेहरा अस्पष्ट/धब्बेदार है, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकृत कर दिया जाएगा।

- ऑनलाइन आवेदन पत्र में फोटो / हस्ताक्षर / अनिवार्य दस्तावेज / अनुलग्नक अपलोड करने के बाद, उम्मीदवारों को जांच कर लेनी चाहिए कि फोटो स्पष्ट हैं और सही ढंग से अपलोड किए गए हैं। यदि फोटो या हस्ताक्षर स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहे हैं, तो उम्मीदवार फॉर्म जमा करने से पहले उसी को फिर से अपलोड कर सकते हैं।
- उम्मीदवार को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि फोटो और हस्ताक्षर केवल उचित स्थानों पर ही अपलोड किए गए हैं। यदि नहीं, तो उम्मीदवार का आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवार को यह सुनिश्चित करना होगा कि अपलोड की जाने वाली फ़ोटो अपेक्षित साइज़ की हो और चेहरा स्पष्ट रूप से दिखाई दे।
- अपलोड किए गए दस्तावेज़/प्रमाणपत्र सुपाठ्य होने चाहिए।
- अपेक्षित दस्तावेज़ों के बिना आवेदन अपूर्ण माने जाएंगे और उन्हें सरसरी तौर पर अस्वीकार कर दिया जाएगा।
- उम्मीदवारों को उचित समय पर मूल दस्तावेज़ों के साथ स्व-सत्यापित फोटोकॉपी लाने के लिए कहा जाएगा।
- पात्रता, आवेदन की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन का तरीका और परीक्षा/दक्षता परीक्षा के आयोजन से संबंधित सभी मामलों में नियुक्ति प्राधिकारी का निर्णय अंतिम और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा।

## दावात्याग

चयन प्रक्रिया के किसी भी चरण में किसी उम्मीदवार द्वारा गलत जानकारी प्रदान करने और/या प्रक्रिया के उल्लंघन के मामले पाए जाने पर उम्मीदवार को चयन प्रक्रिया से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा और उसे भविष्य में किसी भी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि वर्तमान चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसे मामले पकड़ में नहीं आते हैं, लेकिन बाद में पता चलते हैं, तो ऐसी अयोग्यता पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगी। भर्ती की प्रक्रिया के संबंध में सीएसआईआर द्वारा दिए गए/दिए जाने वाले स्पष्टीकरण/निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होंगे।

**ध्यान दें:** उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक सीएसआईआर-सीएलआरआई वेबसाइट को नियमित रूप से देखते रहें। भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कोई अलग व्यक्तिगत जानकारी/सूचना उम्मीदवारों को नहीं भेजी जाएगी। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे इस विज्ञापन/भर्ती प्रक्रिया के संबंध में परिशिष्ट/शुद्धिपत्र और अद्यतन जानकारी के लिए इस वेबसाइट https://clri.org/ पर नियमित रूप से देखते रहें।

उम्मीदवारों को कोई अलग कॉल लेटर/प्रवेश पत्र या जानकारी मेल नहीं की जाएगी। पश्चातवर्ती चरणों के प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की सुविधा केवल https://clri.org/ पर उपलब्ध होगी।

**सीएसआईआर-सीएलआरआई को पूरी भर्ती प्रक्रिया के दौरान उम्मीदवार की ओर से किसी भी छूटे हुए अपडेट/जानकारी के लिए किसी भी तरह से जिम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।**

इस विज्ञापन पर आवेदन करके और परीक्षा में शामिल होकर, उम्मीदवार विज्ञापन की शर्तों और इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित सीएसआईआर-सीएलआरआई द्वारा जारी किसी भी पश्चातवर्ती अधिसूचनाओं से बाध्य है।

इस संक्षिप्त विज्ञापन के अंग्रेजी संस्करण और इसके हिंदी अनुवाद के बीच विसंगतियों की स्थिति में, अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।

ऑनलाइन पंजीकरण/आवेदन जमा करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई होने पर कृपया recruit.clri@csir.res.in पर ईमेल अवश्य लिखें। अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन शुल्क (यदि लागू हो) का भुगतान करें और यथाशीघ्र ऑनलाइन आवेदन करें। इस प्रक्रिया/अपडेट/शुद्धिपत्र/परिशिष्ट आदि से संबंधित सभी आगे की घोषणाएं/विवरण समय-समय पर केवल सीएलआरआई की आधिकारिक वेबसाइट https://clri.org/ पर प्रकाशित/प्रदान किए जाएंगे।

**कोई भी अंतरिम पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।**

ऑनलाइन आवेदन के लिए वेबसाइट पर उल्लेखित हेल्पडेस्क संपर्क (044 2443 7265) केवल आवेदन पत्र के ऑनलाइन जमा करने संबंधी प्रचालन मुद्दों के समाधान के लिए है।

**ह./-**

**(के एम श्रीधर)**

**वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक**

# LIST OF FORMATS FOR CERTIFICATES



| PROFORMA | PARTICULARS OF THE PROFORMA | PAGE NO. |
|---|---|---|
| **Proforma - I** | Format of 'NO OBJECTION CERTIFICATE' from the employer of a candidate currently working as a regular employee in CSIR/ Government Organisations /Autonomous Bodies /Statutory Bodies/ Universities/ Public Sector Undertakings etc. | **26** |
| **Proforma – II** | Form of Certificate to be produced by CSIR Departmental candidates for claiming age concession. | **27** |
| **Proforma – III** | Form of Certificate to be produced by SCHEDULED CASTES and SCHEDULED TRIBES candidates applying for appointment to posts under the Government of India. | **28-29** |
| **Proforma – IV (A)** | Form of Certificate to be produced by OTHER BACKWARD CLASSES (OBC) applying for appointment of posts under the Government of India. | **30** |
| **Proforma – IV (B)** | Form of declaration to be submitted by the OTHER BACKWARD CLASSES (OBC - NCL) candidate (in addition to the community certificate) | **31** |
| **Proforma – V** | Form of Income & Asset Certificate to be produced by Economically Weaker Sections (EWS) | **32** |
| **Proforma – VI (A)** | Disability Certificate (In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs and in cases of blindness) | **33** |
| **Proforma – VI (B)** | Disability Certificate (In cases of multiple disabilities) | **34-35** |
| **Proforma – VI (C)** | Disability Certificate (In cases other than those mentioned in FORM V & VI) | **36-37** |
| **Proforma – VI (D)** | Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPWD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. Persons having less than 40% disability and having difficulty in writing. | **38** |
| **Proforma – VI (E)** | Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPWD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. Persons having less than 40% disability and having difficulty in writing. | **39** |
| **Proforma – VI (F)** | Certificate regarding physical limitation of an Examinee to Write | **40** |
| **Proforma – VI (G)** | Letter of Undertaking for Using Own Scribe | **41** |
| **Proforma – VI (H)** | Form of Medical Certificate to be produced by the Persons with Benchmark Disabilities (PwBD) candidates who seek exemption from appearing in the Typewriting Test | **42** |
| **Proforma – VII** | Format of Certificate to be produced by Ex-servicemen applying for appointment to posts under the Government of India.<br><br>Format of Certificate applicable for Released/Retired Personnel | **43** |
| **Proforma – VIII** | Form of Certificate for Serving Personnel (Applicable for Serving Personnel who are due to be released within One Year) | **44** |
| **Proforma – IX** | Undertaking to be given by Serving Armed Force Personnel who are due to be released within One Year | **45** |

## <u>PROFORMA-I</u>

**FORMAT OF 'NO OBJECTION CERTIFICATE FROM THE EMPLOYER OF CANDIDATE CURRENTLY WORKING AS REGULAR EMPLOYEE IN CSIR/ GOVERNMENT ORGANISATIONS/ AUTONOMOUS BODIES/ STATUTORY BODIES/ UNIVERSITIES/ PUBLIC SECTOR UNDERTAKINGS etc.**

**(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)**

**No...........................** **Date:** [DD/MM/YYYY]

**No Objection Certificate for Applying to Advertisement No. [Advertisement Number]**

This is to certify that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee], [Designation], is a permanent/regular employee of this department/organization and has been serving in the capacity of [Current Position] since [Joining Date].

This department/organization has no objection to his/her applying for the position advertised vide Advt. No. [Advertisement Number] dated [Advertisement Date] for the position of [Post Code/Position] .

This department/organization has no objection to Dr./Mr./Ms. [Employee's Name] participating in the selection process or being considered for the aforementioned employment in the new position.

It is also certified that Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is not currently undergoing any penalties under the applicable conduct rules and Dr./Mr./Ms. [Full Name of Employee] is neither under suspension, nor any vigilance, disciplinary, or criminal cases is pending against him/her as of the date of issuance of this certificate.

This certificate is issued at the request of the applicant for the purpose of applying to the said advertisement.

**Place: ........................**

**For [Name of Department/Organization],**
[Signature of Issuing Authority]
[Name of Issuing Authority]
[Designation of Issuing Authority]
[Official Seal/Stamp]
[Contact Information]
[Department/Organization Address]

## PROFORMA-II

**THE FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY DEPARTMENTAL CANDIDATES EMPLOYEES FOR CLAIMING AGE CONCESSION**

**(Letter Head of the Institution/Issuing Authority)**

**No..............................** **Date:** [DD/MM/YYYY]

**CERTIFICATE FOR CLAIMINING AGE CONCESSION FOR APPLYING AGAINST ADVERTISEMENT NUMBER**

This is to certify that Dr./Mr./Ms…………………………….……………………….….S/o./D/o/W/o Shri ............................................................................................................... is a regularly appointed employee of ................................................................................. (Name of the Institute) and duties performed by him/her during the period(s) are as under:

(i) …………………………………………………………………

(ii) …………………………………………………………………

(iii) …………………………………………………………………

Certified that:

*(a) Dr./Mr./Ms. ……………………………………………………….. holds substantively a permanent post of ………………………………. in the ………………………….. (Name of the Institute) with effect from …………………….. to ………………………….

OR

*(b) Dr./Mr./Ms ............................................................................. has been continuously in temporary service on a
regular basis in the of …………………. at .............................. (Name of the Institute) with effect from …………………….. to ………………………….
**strike out which is not applicable*

Place: ………………

**For [Name of the Institute],**
[Signature of Issuing Authority]
[Name of Issuing Authority]
[Designation of Issuing Authority]
[Official Seal/Stamp]
[Contact Information]
[Department/Organization Address]

# PROFORMA – III

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES CANDIDATES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

1. This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* ________________ Son/Daughter* of ______________Village/Town* _________________ District/Division* ______________of the _________________________ State/Union Territory* belongs to the ______________________ Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under:

@ The Constitution Scheduled Castes Order, 1950
@ The Constitution Scheduled Tribes Order, 1950
@ The Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951
@ The Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) (Part C States) Order, 1951

[As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes List (Modification Order, 1956; the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976, the State of Mizoram Act, 1986, the State of Arunachal Pradesh Act, 1986 and the Goa, Daman and Diu (Reorganisation) Act. 1987.]

@ The Constitution (Jammu and Kashmir)* Scheduled Castes Orders, 1956.
@ The Constitution (Andaman and Nicobar Islands)* Scheduled Tribes Order, 1959, as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976
@ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)* Scheduled Castes Order, 1962.
@ The Constitution (Dadra and Nagar Haveli)* Scheduled Tribes Order, 1962.
@ The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964.
@ The Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967.
@ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968.
@ The Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968.
@ The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970.
@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order, 1978
@ The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978
@ The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order, 1989.
@ The Constitution (SC) Orders (Amendment) Act, 1990.
@ The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1991.
@ The Constitution (ST) Orders (Amendment) Ordinance Act, 1996.
@ The Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 2002
@ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Amendment) Act, 2002.
@ The Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Act, 2002
@ The Constitution (Scheduled Castes) Orders (Second Amendment) Act, 2002.
@ The Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Act, 2007

%2. Applicable in the case of Scheduled Castes/Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/Scheduled Tribes Certificate issued to Shri/Shrimati* ______________ father/mother* of Shri/Shrimati/Kumari ___________________ of Village/Town* ____________________ in District/Division* ___________________ of the State/Union Territory* _______________ who belongs to the _____________ Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the ________________ dated ______________ .

%3. Shri/Shrimati/Kumari*_________________________________and /or* his/her* family ordinarily reside(s) in Village/Town* _________________________ of _______________ District/Division* of the State/Union Territory* of ______________________________ .

Place _____________________ Signature ____________________

Date __________________ **Designation ____________________

(With seal of Office)

State/Union Territory _________________

*Please delete the words, which are not applicable.
@ Please quote specific Presidential Order
% Delete the Paragraph, which is not applicable.

NOTE: The term ‘ordinarily reside’(s) used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of People Act, 1950

**** List of authorities empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe Certificates :**

1. District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendary Magistrate/Sub Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.(not below the rank of 1st Class Stipendary Magistrate)
2. Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
3. Revenue Officer not below the rank of Tehsildar.
4. Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.
5. Administrator / Secretary to Administrator/Development Officer (Lakshadweep Islands).

Note: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

## PROFORMA-IV (A)

**FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE GOVERNMENT OF INDIA**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari ……………………………………………………… son/daughter of ……………………………………………… village/town ……………………………………………… in District/Division belongs to the … ......................................................................... community which is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of Social Justice and Empowerment's Resolution No. ……………………………………………………………………. dated ………………………………..

* and/or his family ordinarily reside(s) in the ………………………………. District/Division of the ..................................................................... State/Union Territory. This is also to certify that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of Personnel & Training O.M. No.36012/22/93-Estt.(SCT) dated 8.9.1993 and O.M. No.36033/1/2013-Estt.(Res) dated 27th May, 2013**

Signature .................................................. $

Designation ………………………..………………

Dated:

Seal:

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of Resolution of Government of India, in which the case of the candidate is mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

$ Listof Authorities empowered to issue Other Backward Classes certificate will be the same as those empowered to issue Scheduled Caste/Scheduled Tribe certificates.

Note:- The Term 'Ordinarily' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950. Page 22 of 31

## PROFORMA – IV (B)

**FORM OF DECLARAION TO BE SUBMITTED BY THE 'OTHER BACKWARD CLASS' CANDIDATE (IN ADDITION TO THE COMMUNITY CERTIFICATE)**

I ……………………………………………………Son/daughter of Shri .................................... resident of village/town/city ………………………………………………….. district ................................. State …………………………. hereby declare that I belong to the ................................................. Community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No.36102/3/2024 Estt.(SCT) dated 8-9-1983. It is also declared that I do not belong to persons/sections (Creamy Layer) mentioned in column 3 of the Schedule to the above referred Office Memorandum dated 8-9-1983, O.M. No.36033/3/2004-Estt.(Res.) dated 9th March, 2004 and O.M. No. 36033/3/2004- Estt.(Res.) dated 14th October, 2008 and as amended from time to time.

I also declare that the condition of status/annual income for creamy layer of my Parents/guardian is within prescribed limits as on last date of application.

Signature…………………………………………

Full Name………………………….……………..

Address …………………………………………..

Place : ……………………………..

Date : ………………………………

## PROFORMA – V

Government of ______________________

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

**INCOME & ASSET CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY WEAKER SECTIONS**

Certificate No. _____________________ Date _________________

**VALID FOR THE YEAR**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _______________________________ son/daughter/wife of ______________ ________________________________ permanent resident of _________________, Village/Street _____________ _________________________ Post Office _________________ District ____________________ in the State/ Union Territory _________________ PIN Code _______________ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/ her „family"** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _______________.

His/her family does not own or possess any of the following assets ***:

I. 5 acres of agricultural land and above;

II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;

III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;

IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari ____________________ belongs to the _________________ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office ____________________________

Name _____________________________________________

Designation _____________________________________

Passport size attested photograph of the applicant

*Note

1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.

2: The term „Family" for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/ her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

# PROFORMA – VI (A)

**Form - V**
**Certificate of Disability**
**(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in cases of blindness)**

**(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)**

| |
|---|
| Recent Passport Size Attested Photograph (Showing face only) of the Person with disability |

Certificate No.: ___________________________ Date: ___________________

**This is to certify that I have carefully examined** Shri/Smt/Kum ____________________son/ wife/ daughter of Shri __________________ Date of Birth ______________ (DD/MM/YYYY) Age________Years, Male/Female ________________ Registration No. _________________________
Permanent Resident of House No. _____________________Ward/Village/Street____________________
Post Office__________________ District______________________State________________________ whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) He/she is a case of:

- Locomotor Disability
- Dwarfis
- Blindness

*(Please tick as applicable)*

(B) The diagnosis in his/her case is____________________________________________________

(1) He/She has _____________% (in figure) _________________________________ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/ her________________ (part of body) as per guidelines (__________________number and date of issue of the guidelines to be specified).

(2) The applicant has submitted the following document as proof of residence:

| Nature of Document | Date of Issue | *Details of authority issuing certificate* |
|---|---|---|
| | | |

(Signature and Seal of Authorised Signatory of notified Medical Authority)

| |
|---|
| Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability certificate is issued. |

# PROFORMA – VI (B)

**FORM-VI**
**Certificate of Disability**
**(In cases of multiple disabilities)**

**(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)**

Recent Passport Size Attested Photograph (Showing face only) of the Person with disability

Certificate No.: ___________________________ Date: ___________________

1. This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum. ___________________________________son/ wife/ daughter of Shri _____________________________ Date of Birth__________________ (DD/MM/YYYY) Age____________ Years, Male/Female ________________ Registration No. _________________________ Permanent Resident of House No. _____________________ Ward/Village/Street____________________ Post Office________________________ District ______________________ State __________________________ whose photograph is affixed above, and are satisfied that:

(A) He/she is a Case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (__________________________number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and shown against the relevant disability in the table below:

| S. No. | Disability | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical impairment / mental ability (in %) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Locomotor disability | @ | | |
| 2. | Muscular Dystrophy | | | |
| 3. | Leprosy cured | | | |
| 4. | Dwarfism | | | |
| 5. | Cerebral Palsy | | | |
| 6. | Acid attack Victim | | | |
| 7. | Low vision | # | | |
| 8. | Blindness | # | | |
| 9. | Deaf | £ | | |
| 10. | Hard of Hearing | £ | | |
| 11. | Speech and Language disability | | | |
| 12. | Intellectual Disability | | | |
| 13. | Specific Learning Disability | | | |
| 14. | Autism Spectrum Disorder | | | |
| 15. | Mental illness | | | |
| 16. | Chronic Neurological Conditions | | | |
| 17. | Multiple sclerosis | | | |
| 18. | Parkinson's disease | | | |
| 19. | Haemophilia | | | |
| 20. | Thalassemia | | | |
| 21. | Sickle Cell disease | | | |

(B) In the light of the above, his /her over all permanent physical impairment as per guidelines (______________number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows: -

In figures: -______________________percent

In words: - _______________________________________________________percent

2. This condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:
(i) not necessary,
Or
(ii) is recommended/ after ___________ years_______________ months, and therefore this certificate shall be valid till_____________________ (DD)/(MM)/(YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye
£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

| Nature of Document | Date of Issue | Details of authority issuing certificate |
|---|---|---|
| | | |

5. Signature and seal of the Medical Authority.

| | | |
|---|---|---|
| | | |
| **Name and seal of Member** | **Name and seal of Member** | **Name and seal of the Chairperson** |

| |
|---|
| Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability certificate is issued. |

## PROFORMA – VI (C)

**FORM-VII**
**Certificate of Disability**
**(IN CASES OTHER THAN THOSE MENTIONED IN FORMS V AND VI)**

**(NAME AND ADDRESS OF THE MEDICAL AUTHORITY ISSUING THE CERTIFICATE)**

Recent Passport Size Attested Photograph (Showing face only) of the Person with disability

Certificate No.: ____________________________ Date: ____________________

1. This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum ____________________________________son/ wife/ daughter of Shri ______________________________ Date of Birth__________________ (DD/MM/YYYY) Age____________ Years, Male/Female ________________ Registration No. __________________________ Permanent Resident of House No. ______________________ Ward/Village/Street_____________________ Post Office_________________________ District _______________________ State ___________________________ whose photograph is affixed above, and are satisfied that he/she is a Case of ______________________ Disability. His/her extent of percentage physical impairment/ disability has been evaluated as per guidelines (to be specified) and is shown against the relevant disability in the table below:

| S. No. | Disability | Affected part of body | Diagnosis | Permanent physical impairment / mental ability (in %) |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Locomotor disability | @ | | |
| 2. | Muscular Dystrophy | | | |
| 3. | Leprosy cured | | | |
| 4. | Cerebral Palsy | | | |
| 5. | Acid attack Victim | | | |
| 6. | Low vision | # | | |
| 7. | Deaf | £ | | |
| 8. | Hard of Hearing | £ | | |
| 9. | Speech and Language disability | | | |
| 10. | Intellectual Disability | | | |
| 11. | Specific Learning Disability | | | |
| 12. | Autism Spectrum Disorder | | | |
| 13. | Mental illness | | | |
| 14. | Chronic Neurological Conditions | | | |
| 15. | Multiple sclerosis | | | |
| 16. | Parkinson’s disease | | | |
| 17. | Haemophilia | | | |
| 18. | Thalassemia | | | |
| 19. | Sickle Cell disease | | | |

*(Please strike out the disabilities which are not applicable.)*

2. The above condition is progressive/ non-progressive/ likely to improve / not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:
(i) not necessary,
Or

(ii) is recommended/ after ___________ years_______________ months, and therefore this certificate shall be valid till_____________________ (DD)/(MM)/(YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs
# e.g. Single eye/both eyes
£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

| Nature of Document | Date of Issue | Details of authority issuing certificate |
|---|---|---|
| | | |

(Authorised Signatory of notified Medical Authority)
(Name and Seal)

Countersigned

(Countersign and seal of the
Chief Medical Officer/ Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a medical
Authority who is not a Government
Servant (with seal)).

| Signature/Thumb impression of the person in whose favour certificate of disability certificate is issued. |
|---|

**Note:** In case this certificate is issued by a medical authority who is not a government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District.

**Note:** The principal rules were published in the Gazette of India by Ministry of Social Justice and Empowerment vide notification number 489, dated 15.06.2017.

# PROFORMA – VI (D)

**Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.**

1. This is to certify that, we have examined Mr/Ms/Mrs ....................................................(name of the candidate), S/o/D/o ………………………………..………………………………, a resident of………………………………………………………………………………..…. (Vill/PO/PS/District/State), aged......................years, a person with ………………………………………………. (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto___________ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority

| (Signature & Name) | (Signature & Name) | (Signature & Name) | (Signature & Name) | (Signature & Name) |
|---|---|---|---|---|
| Orthopedic / PMR specialist | Clinical Psychologist / Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist/ Special Educator | Neurologist (if available) | Occupational therapist (if available) | Other Expert, as nominated by Chairperson (if any) |
| (Signature & Name) | | | | |
| Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer………Chairperson | | | | |

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

## PROFORMA – VI (E)

**Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2(s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing.**

I ______________________________________________, a candidate with ______________________________________________ (nature of the disability/condition) appearing for the ______________________________________ (name of the examination) bearing Roll No. ________________ at __________________________________ (name of the centre) in the District____________________, _________________________ (name of the State/UT).My Educational qualification is _____________________________________.

I do hereby state that _________________________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his/her qualification is __________________________. In case, subsequently it is found that his / her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

Place: __________________________

Date: ___________________________

CSIR-CLRI

# PROFORMA – VI (F)

**Certificate regarding physical limitation in an examinee to write**

This is to certify that, I have examined Mr./Ms./Mrs.____________________________________ (name of the candidate with disability), a person with ____________________________________ (nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o, D/o ______________________________________________________________________________________ a resident of ____________________________________________________________ (Village/District/Sate) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature
Chief Medical Officer / Civil Surgeon / Medical Superintendent
of a Government health care Institution

Name & Designation
Name of Government Hospital / Health Care Centre with Seal

Place: _____________________________

Date: ______________________________

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual impairment – Ophthalmologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist / PMR).

## PROFORMA – VI (G)

**Letter of Undertaking for Using Own Scribe**

I ____________________________________________________, a candidate with ____________________________________________________ (name of the disability) appearing for the ________________________________________ (name of the examination) bearing Roll No. ________________ at __________________________________ (name of the centre) in the District_____________________, __________________________ (name of the State/UT). My qualification is _________________________________________________.

I do hereby state that __________________________________ (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination.

I do hereby undertake that his/her qualification is ___________________________. In case, subsequently it is found that his / her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto.

(Signature of the candidate with Disability)

Place: ___________________________

Date: ____________________________

# PROFORMA – VI (H)

**Form of Medical Certificate to be produced by the Persons with Benchmark Disabilities candidates who seek exemption from appearing in the Typewriting Test**

This is to certify that Sh./Smt./Kum _______________________________________son/daughter/wife of Shri______________________________ is suffering from ______________________.

Clinical diagnosis as a result of which he/ she has the following disabilities. (Brief description of his/ her disabilities)

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________

This is a permanent disability and the extent of his/ her disability works out to _________% of disability. This disability is likely to interfere with Typewriting (specify)_________________________________________

Signature of Civil Surgeon:

Name:

(Official Stamp)

Place:

Date:

| |
|---|
| Photograph of the candidate clearly showing face with affected portion of the body. |

Signature of candidate: _______________________

Name: ___________________________________

Roll/Reg. Number: ___________________________

CSIR-CLRI

## PROFORMA-VII

**FORM – A**

**Form of Certificate applicable for Released/Retired Personnel**
**(Prescribed proforma subject to amendment from time to time)**

1. It is certified that No. ....................... Rank……................ Name........................................... whose date of birth is.................... has rendered service from.................... to................... in Army/Navy/Air Force.

2. He has been released from military services:

# a) on completion of assignment otherwise than
(i) by way of dismissal, or
(ii) by way of discharge on account of misconduct or inefficiency, or
(iii) on his own request, but without earning his pension, or
(iv) he has not been transferred to the reserve pending such release

# b) on account of physical disability attributable to Military Service.

# c) on invalidment after putting in at least five years of Military service

3. He is covered under the definition of Ex-Serviceman (Re-employment in Central Civil Services and Posts) Rules, 2020 as amended from time to time

Place: Signature, Name and Designation of the Competent Authority**

Date:

SEAL

# Delete the paragraph which is not applicable.

# PROFORMA-VIII

**FORM – B**

**Form of Certificate for Serving Personnel**

**(Applicable for serving personnel who are due to be released within one year)**

**(Prescribed proforma subject to amendment from time to time)**

1. It is certified that No……………. Rank…………Name ……………………………………………is serving in the Army/Navy/ Air Force from …………………………..

2. He is due for release/retirement on completion of his specific period of assignment on or before ……………………

3. No disciplinary case is pending against him.

Place: Signature,

Name and Designation of the Competent Authority**

Date:

SEAL

# PROFORMA-IX

**FORM – C**

**Undertaking to be given by serving Armed Force personnel who are due to be released within one year**

**(Prescribed proforma subject to amendment from time to time)**

(1) I understand that if selected on the basis of the recruitment/Test to which this application relates, my appointment will be subject to my producing documentary evidence to the satisfaction of the appointing authority that I have been duly released/ retired/discharged from the Armed Forces and that I am entitled to the benefits admissible to Ex-Serviceman in terms of the Ex-Serviceman (Re-employment in Central Civil Service and Posts) Rules, 2020, as amended from time to time.

(2) I also understand that I shall not be eligible to be appointed to a vacancy reserved for Ex-Serviceman with regard to this recruitment, if I have at any time prior to such appointment, secured any employment on the civil side (including Public Sector Undertaking, Autonomous Bodies/Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.), by availing the concession of reservation of vacancies admissible to Ex-serviceman.

Place: Signature and Name of the candidate

Date: